कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्रमांक/मा.चि./ 1730

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
भू–प्रबंध
म0प्र0 भोपाल

विषयः– विदिशा जिले के अंतर्गत Construction of cc road from house of Narayan Yadav to Bhagwanpur road के निर्माण हेतु 0.048 हेक्टयेर वनभूमि, नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा को उपयोग पर देने बावत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/44856/2020)

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा का पत्र क्रमांक/माचि/1283 दिनांक 7/9/2020

---0---

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा ने संदर्भित पत्र द्वारा वनमंडल के परिक्षेत्र शमशाबाद अंतर्गत **श्री नारायण यादव के घर से भगवानपुर रोड तक सी.सी.रोड़ निर्माण हेतु**, वन परिक्षेत्र शमशाबाद के **वन कक्ष क्रमांक आर. एफ. 271 की 0.0564 हेक्टर वन भूमि, नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा को उपयोग पर देने के लिये,** वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

प्राप्त प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप भाग I के बिंदु क्रमांक 1 (VIII) में मार्ग निर्माण हेतु व्यपवर्तन बावत् प्रस्तावित वनक्षेत्र 0.048 हेक्टर दर्शाया गया हैं। **जबकि व.म.अ. के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र 0.0564 हेक्टर होता हैं।** इस कारण से ऑन लाईन प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप भाग II के बिंदु क्रमांक 1 (IV) में Area of forest land proposed for diversion में 0.048 हे0 एवं भाग II के बिंदु क्रमांक 2 (IV) में Legal status of forest land proposed for diversion में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मार्ग के निर्माण कार्य करने से व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं एवं प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र, एक हेक्टर से कम, होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना भी प्रस्तावित नहीं किया गया हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित** आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–यथावर्णित।

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 1731

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2020

प्रतिलिपिः–वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2020 .doc

11-9-20

Scanned with CamScanner

भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 विदिशा के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, परिक्षेत्र शमशाबाद अंतर्गत श्री नारायण यादव के घर से भगवानपुर रोड तक सी.सी.रोड़ निर्माण हेतु, वन परिक्षेत्र शमशाबाद के वन कक्ष क्रमांक आर. एफ. 271 की 0.0564 हेक्टर वन भूमि, नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा को उपयोग पर देने के लिए, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि :– 11 .9. 2020

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(रवीन्द्र सक्सेना)

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त भोपाल

11.9.20

Scanned with CamScanner